झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट)सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांकः– 10,फाल्गुन,1945 (श0) को 29 फरवरी, 2024(ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
80.	खा0–01	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	बकाये का भुगतान कराना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	20-02-24
81.	मस0–03	सुश्री अम्बा प्रसाद,	महिला कर्मियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान कराना।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	22-02-24
82.	क0–06	श्री रामचन्द्र सिंह,	छात्रावास का निर्माण कराना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	22-02-24
83.	क0–03	श्री विकास कुमार मुण्डा,	कोल्ड स्टोरेज का प्रारम्भ कराना।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	20-02-24
84.	ज0–09	श्री सुखराम उराँव,	जलाशय का मरम्मतिकरण कराना।	जल संसाधन	22-02-24
85.	कृष0–06	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	मत्स्य बीज तथा स्पॉन की आपूर्ति।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	20-02-24
86.	ज0–02	श्री अनन्त कुमार ओझा,	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	20-02-24
87.	मस0–01	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	कुपोषित बच्चों का देख–भाल कराना।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	20-02-24
88.	कृष0–02	श्री कोचे मुण्डा,	मानदेय का भुगतान करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	18-02-24
89.	मस0–04	श्री बिरंची नारायण,	ससमय भुगतान कराना।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	22-02-24

कृ0पृ0उ0.....2/–

01	02	03	04	05	06
90-	कृष०-11	श्री नारायण दास,	मेगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	22-02-24
91-	ज०-01	श्री भानु प्रताप शाही,	सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	20-02-24
92-	खा०-02	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	किसानों का भुगतान कराना।	खा०सार्व०वि० एवं उप०मामले	20-02-24
93-	ज०-10	सुश्री अम्बा प्रसाद,	डैम एवं नहर का जीर्णोद्धार कराना।	जल संसाधन	22-02-24
94-	ज०-04	श्री अमित कुमार मंडल,	डैम में गेट स्थापित कराना।	जल संसाधन	20-02-24
95-	कृष०-01	श्री कोचे मुण्डा,	मानदेय बढ़ाना।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	18-02-24
96-	कृष०-08	डॉ०लम्बोदर महतो,	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	21-02-24
97-	ज०-07	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	तालाब का जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	22-02-24
98-	ज०-08	श्री रामचन्द्र सिंह,	योजना पुनः चालू करना।	जल संसाधन	22-02-24
99-	क०-02	श्री केदार हजरा,	शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करना।	अनु०जा०अनु०ज०जा०,अ०एवं पि०वर्ग कल्याण	20-02-24
*100-	क०-01	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	खाद्यान उपलब्ध कराना।	अनु०जा०अनु०ज०जा०,अ०एवं पि०वर्ग कल्याण	20-02-24
101-	ज०-03	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	अभियन्ता पर कारवाई।	जल संसाधन	20-02-24
102-	कृष०-09	श्री नारायण दास,	पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	22-02-24
103-	मस०-02	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	तेजस्वीनी कर्मियों का नियोजन करना।	म०बा०विकास एवं सा०सुरक्षा	22-02-24
104-	कृष०-04	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	अतिक्रमण मुक्त कराना।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	20-02-24
105-	कृष०-07	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	20-02-24
106-	क०-05	श्री सुखराम उराँव,	छात्रावास की मरम्मति या नवनिर्माण करना।	अनु०जा०अनु०ज०जा०,अ०एवं पि०वर्ग कल्याण	22-02-24
#107-	कृष०-10	श्री मनीष जायसवाल,	योजना का लाभ किसानों को देना।	कृषि,पशु०एवं सहकारिता	22-02-24

* अ०जा०, अ०ज०जा०, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक-485 दिनांक-
23.02.24 द्वारा खाद्य आपूर्ति ...

01	02	03	04	05	06
108-	ज0-06	श्री कमलेश कुमार सिंह,	नहर की मरम्मति कराना।	जल संसाधन	20-02-24
109-	क0-04	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	योजनाओं का चयन।	अनु0जा0अनु0 ज0जा0,अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	22-02-24
110-	कृष0-05	श्री कमलेश कुमार सिंह,	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	20-02-24
111-	कृष0-03	श्री विकास कुमार मुण्डा,	स्वीकृत पदों पर नियुक्ति।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	20-02-24
112-	ज0-05	श्री अमित कुमार मण्डल,	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	20-02-24
113-	खा0-03	डॉ0लम्बोदर महतो,	बकाया खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0मामले	21-02-24

राँची,
दिनांक-29फरवरी,2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020-2954/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24
प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता विरोधी दल/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2024
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020-2954/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24
प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान सभा,राँची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय /प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न)के सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)- 05/2020-2954/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24
प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी/

25.2.24

(80)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री समीर कुमार मोहन्ती
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने की एक महत्वकाँक्षी योजना है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना के सफलता के पीछे राईस मिलरों का अहम योगदान रहता है जिनके द्वारा CMR का कार्य किया जाता है;	धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत अधिप्राप्त किये गये धान का मिलिंग तथा धान एवं CMR के परिवहन का कार्य राईस मिलरों द्वारा किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से मिलरों को सरकार द्वारा CMR कार्य का भुगतान नहीं किया गया है;	मिलरों को मिलिंग कार्य के एवज में मिलिंग तथा धान एवं सी०एम०आर० के परिवहन कार्य के एवज में परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाता है। इस हेतु राईस मिलर द्वारा जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कार्यालय में विपत्र जमा किया जाता है तत्पश्चात् जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मुख्यालय से राशि प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जाती है। इस राशि की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम/खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होती है। राईस मिलरों को मिलिंग कार्य के विरूद्ध मिलिंग शुल्क तथा CMR एवं धान परिवहन कार्य के विरूद्ध परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाता है। KMS 2020-21 & 2021-22 में CMR कार्य के बदले जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में लगभग सभी राईस मिलरों को मिलिंग शुल्क मद में 20,41,26,237/– रूपये (बीस करोड़ एकतालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सैंतीस रूपये) का भुगतान किया जा चुका है। KMS 2020-21 & 2021-22 में CMR एवं धान परिवहन मद में भी लगभग 57,68,11,391/– रूपये (सन्तावन करोड़ अड़सठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ एकानबे रूपये) का भुगतान किया गया है परन्तु भारतीय खाद्य निगम से मात्र 71,63,039/– रूपये (एकहत्तर लाख तिरसठ हजार उनचालीस रूपये) की प्रतिपूर्ति हो पाया है। भारतीय खाद्य निगम से नियमित रूप से राशि की प्रतिपूर्ति नहीं होने से विगत वर्ष का परिवहन शुल्क का भुगतान लंबित है। बकाया भुगतान हेतु 1,32,00,00,000/– रूपये (एक अरब बत्तीस करोड़ रूपये) द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से Revolving Fund के रूप में राशि प्राप्त की गई है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिलरों को उनके CMR कार्यों का बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका '3' में स्पष्ट कर दिया गया है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–05/2024 573 /राँची, दिनांक 23/2/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2745, दिनांक 20.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24
सरकार के अवर सचिव।

(81)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या– म०स०–03 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभागों में हजारों महिला कर्मी कार्यरत है, जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सेवा दायित्वों के साथ–साथ मातृत्व और पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि देश के अधिकांश राज्यों एवं केन्द्र सरकार में बच्चों की देखभाल हेतु महिलाओं को सवैतनिक शिशु देखभाल अवकाश की सुविधा प्राप्त है, जिसमें महिला कर्मियों को उनके सेवा काल में 2 वर्षों के लिए शिशु देखभाल अवकाश की सुविधा मिलती है, परन्तु झारखण्ड में इस प्रकार की सुविधा महिला कर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति अपने महिला कर्मियों को शिशु देखभाल हेतु 2 साल के सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति राज्य के महिला कर्मियों को शिशु देखभाल हेतु 2 साल के सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–59 / 2024 – 539 राँची, दिनांक : 28.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2846 / वि0स0 दिनांक–22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

82

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–06 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड अनुसूचित जनजाति बहुल प्रखण्ड है, यहाँ के विद्यालयों से प्रत्येक वर्ष कई मेधावी छात्राऐं निकलती है, जो राज्य को गौरवान्वित करती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित अनुमण्डल/प्रखण्ड अनुसूचित जनजाति बहुल होने के बावजूद भी यहाँ एक भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआडांड अनुमण्डल/प्रखण्ड मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स० (छात्रावास)–04/2024 - 571 राँची, दिनांक 29/02/2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2858, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.02.2024

(नीरज कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा, स० वि० स० द्वारा दिनांक- 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-क-03 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मंत्री के पहल पर तमाड़ प्रखंड के उलिडीह में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था, जिसका अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुका है ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कोल्ड स्टोरेज में इतनी निवेश करने के बावजूद सरकार अब तक उसे प्रारम्भ नहीं कर पाई है ?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र उलीडीह कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य को संपन्न कराते हुए उक्त कोल्ड स्टोरेज को प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक- 489, दिनाक- 23.02.2024 के माध्यम से उपायुक्त राँची को वर्तमान स्थिति का आकलन कर यथा आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उपायुक्त से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः-08/वि०स०प्र०(**Cold Storage**) 1-1/2024-568 राँची, दिनांकः- 28/02/2024

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०- 2754, दिनांक- 20.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2024

(नीरज कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Sunil\Letter.docx

(86)

श्री सुखराम उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.09.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र में बंदगाँव प्रखण्ड में नकटी जलाशय एवं चक्रधरपुर प्रखण्ड में जेनासाई जलाशय है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में उल्लेखित दोनों जलाशयों से सिपेज होने एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव में हजारों एकड़ भू–खण्ड में खेती नहीं हो पाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. नकटी जलाशय योजना के संवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण संवेदक को कालीकृत करते हुए योजना के कार्य का एकरारनामा विखण्डित कर दिया गया है। कालीकृत करने के विरूद्ध संवेदक द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है। वर्त्तमान में योजना के रूपांकित क्षमता 1620 हे० के विरूद्ध लगभग 220 हे० सिंचाई की जा रही है। 2. जेनासाई जलाशय योजना के गेट एवं इंटेक संरचना से रिसाव हो रहा है। जिसका पानी नहर में ही जा रहा है। जिसका उपयोग सिंचाई कार्य में होता है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना से कुल रूपांकित क्षमता 1600 हे० के विरूद्ध 1420 हे० में सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में उल्लिखित दोनों जलाशयों की मरम्मति कराते हुए कृषक हित में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. नकटी जलाशय योजना का स्थल निरीक्षण कराकर आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाएगा। 2. जेनासाई जलाशय योजना के गेटों की मरम्मति के लिए संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियंता (यांत्रिक) को दिया गया है। तत्पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–09/2024 – 1142 /राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2850 वि०स० दिनांक 22.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

85

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधानसभा के द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज एवं स्पॉन की आपूर्ति मत्स्य उत्पादकों से निविदा आमंत्रण के माध्यम से क्रय कर ली जाती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निविदा में राज्य के बाहर के मत्स्य बीज उत्पादक एवं स्पॉन उत्पादक भी भाग लेते हैं;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार संबंधित निविदा में 50 प्रतिशत् आपूर्ति राज्य के मत्स्य बीज एवं स्पॉन उत्पादकों के लिए सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों	निविदा की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा गठित जिलास्तरीय निविदा क्रय समिति के द्वारा निर्धारत नियम एवं शर्त के अधीन अहर्ताओं को पूर्ण करने वाले निविदाकर्त्ता का चयन किया जाता है। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों/ मत्स्य बीज उत्पादकों/ प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त के क्रम में स्थानीय हैचरी संचालक/मत्स्य बीज उत्पादक/ प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक उनके उत्पादन क्षमता के अनुसार लाभ प्राप्त कर रहें है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 09/2024 219 / राँची, दिनांक 26/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2741 दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024
(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 09/2024 219 / राँची, दिनांक 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024
सरकार के अवर सचिव

(86)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड राजमहल एवं उधवा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उद्वह सिंचाई योजनाएँ संचालित थी, जो विगत 10–15 वर्षों से बन्द पड़ी हुई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विद्युत की अनुपलब्धता, विद्युत विपत्र का भुगतान न होने तथा रख–रखाव के अभाव में योजनाएँ मृतप्राय हो गई है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों में मृतप्राय पड़े पुरानी उद्वह सिंचाई योजनाओं को सौर ऊर्जा में अविलंब हस्तांतरित कराते हुए स्थानीय कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों?	राजमहल विधानसभा क्षेत्र के राजमहल प्रखण्ड अंतर्गत दो (02) अदद योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, उधवा प्रखण्ड अंतर्गत छः (06) अदद योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया है। पूर्व निर्मित उद्वह सिंचाई योजनाओं के स्थान पर विभाग द्वारा सौर ऊर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्माण के पूर्व लाभुक समिति का गठन के उपरान्त योजनाओं के लाभूकों द्वारा योजनाओं का संचालन, रख–रखाव एवं योजना निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित सहमति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त लाभ लागत अनुपात को देखते हुए अगामी वर्षों में योजना का निर्माण कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–02 / 2024 1141 / राँची, दिनांक– 28/02/24

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2746 दिनांक–20.02.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

87

श्री नीलकण्ड सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा में दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में जन्म लेने वाले 47.8% बच्चे कुपोषित होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NFHS-4 (2015-16) में 05 वर्ष से छोटे बच्चों में उम्र के अनुसार कम वजन 47.8% था जो NFHS-5 (2019-21) में 39.4% हुआ है। इसे कम करने के लिये सरकार द्वारा पोषण संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के तहत कतिपय प्रयास किये जा रहे हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि कुपोषण से पीड़ित बच्चों में 48% बच्चे अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तथा कुपोषण के मामले में खूँटी जिले की स्थिति चिन्ताजनक है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NFHS-5 (2019-21) में 05 वर्ष से छोटे अनुसूचित जनजाति बच्चों में उम्र के अनुसार कम वजन 41% बच्चों में है। कुपोषण के मामले में खूँटी जिला में 44% है, जो राज्य में छठे स्थान पर आता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे कतिपय प्रयास :– 1. राज्य के 12 जिलों में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु समर कार्यक्रम क्रियान्वित है। 2. राज्य में कुल 98 कुपोषण उपचार केन्द्रों से कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा रहा है। 3. विभाग द्वारा त्रैमासिक वजन पखवाड़ा चलाकर अधिक से अधिक बच्चों में कुपोषण की पहचान एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु टी०एच०आर० के रुप में माइक्रोन्युट्रियन्ट फोर्टिफाईड एनर्जी डेन्स फुड का वितरण किया जाता है। 4. मातृत्व सुरक्षा कार्ड द्वारा बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास सुधार के कदम हेतु परामर्श सत्र चलाया जाता है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–53/2024 – 540 रॉंची, दिनांक : 28.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक–2752/वि0स0 दिनांक–20.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न– कृष–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><td>क्र०</td><td>प्रश्नकर्त्ता
श्री कोचे मुण्डा,
माननीय सदस्य विधान सभा</td><td>उत्तरदाता
श्री बादल, माननीय मंत्री,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रश्न</td><td>उत्तर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों की संख्या लगभग तीन हजार है ?</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में जे०एस०आई०ए० द्वारा दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है ?</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि कभी–कभी पशुपालन विभाग के द्वारा भी इन कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों से पशुओं का टीकाकरण का कार्य भी कराया जाता है।</td><td>स्वीकारात्मक।
केंद्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (Livestock Health and Disease Control Programme) के अन्तर्गत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या यह बात सही है कि इन कार्यों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा इन कर्मियों को किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है ?</td><td>अस्वीकारात्मक।
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>विवरणी</th><th>राशि (रूपये में)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कृत्रिम गर्भाधान मानदेय</td><td>50/– प्रति कृत्रिम गर्भाधान</td><td rowspan="3">केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गर्भ जाँच मानदेय</td><td>200/– प्रथम गर्भाधान से गर्भित पशु</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100/– द्वितीय गर्भाधान से गर्भित पशु</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वत्स उत्पत्ति मानदेय</td><td>100/– प्रति वत्स</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>मासिक मानदेय</td><td>1500/– प्रतिमाह</td><td rowspan="3">राज्य योजना 3000 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना एवं संचालन कार्यक्रम अन्तर्गत।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मोबाईल रिचार्ज अनुदान</td><td>1800/– प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बीमा अनुदान</td><td>200000/– का सामान्य एवं 200000/– का दुर्घटना बीमा PMJJK एवं PMSBY योजनान्तर्गत</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">टीकाकरण मानदेय</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>वृहत पशु (गाय, भैंस एवं सूकर जाति)</td><td>5/– प्रति पशु</td><td rowspan="2">केन्द्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>लघु पशु (गाय, भैंस एवं बकरी)</td><td>3/– प्रति पशु</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">चिन्हितीकरण एवं निबंधन (Ear Tagging & Registration)</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>वृहत पशु (गाय, भैंस एवं सूकर जाति)</td><td>3.50/– प्रति पशु</td><td rowspan="2">केन्द्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>लघु पशु (भेंड एवं बकरी)</td><td>2.50/– प्रति पशु</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निर्धारित दर से कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को राशि का भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

झापांक – 5 बजट (1) 10/2024 232 / राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके झापांक–2635 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/24

(विजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

झापांक – 5 बजट (1) 10/2024 232 / राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके झापांक–204 दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/24

सरकार के अवर सचिव

(89)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा में दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–04 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में हजारों की संख्या में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया इत्यादि अपने विभिन्न मांगों को लेकर आन्दोलनरत हैं, जिसमें नियमावली निर्माण, इन्हें श्रमिक का दर्जा देने, इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा मानदेय बढ़ाने से संबंधित है ;	स्वीकारत्मक। राज्य अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–2239, दिनांक–30.09.2023 द्वारा "झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली, 2022 अधिसूचित है। आंगनबाड़ी सेवाऐं अन्तर्गत सेविका/ सहायिका भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग–निर्देशों के आलोक में एक Volunteer के रुप में अपने निर्धारित कर्त्तव्यों का निवर्हन करती हैं, जिनका मानदेय भुगतान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60 : 40 के अनुपात में किया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने संबंधी राज्य सरकार के समक्ष कोई मामला विचाराधीन नहीं है। विभागीय अधिसूचना संख्या– 2239, दिनांक– 30.09.2023 द्वारा आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय पूर्व के रु0 6400/– प्रति माह से बढ़ाकर रु0 9500/– प्रति माह, लघु आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय रु0 4700/– प्रति माह से बढ़ाकर रु0 9500/– प्रति माह तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय रु0 3200/– प्रति माह से बढ़ाकर रु0 4750/– प्रति माह किया गया है। (मानदेय वृद्धि संबंधी विवरणी अनुलग्नक के रुप में संलग्न)
2.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इत्यादि को समान काम के समान वेतन/ मानदेय के बराबर राशि का भुगतान नहीं हो रहा है ;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्पष्ट है कि भारत सरकार के मार्ग–निर्देशानुसार सेविका/सहायिका एक Volunteer के रुप में अपने निर्धारित कर्त्तव्यों का निवर्हन करती हैं। अतः इन्हें अन्य कर्मियों के अनुरुप समान काम के बदले समान वेतन/ मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए लंबित मानदेय का भुगतान तथा मानदेय वृद्धि करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अपेक्षित नहीं।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–60/2024 – 536 राँची, दिनांक : 28-02-2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2847/वि0स0 दिनांक–22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

आंगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अतिरिक्त मानदेय संबंधी विवरणी।

अनुलग्नक–1

क्रम सं0	सेविका/सहायिका	पूर्व में भुगतेय मानदेय (प्रतिमाह)				वर्तमान में भुगतेय मानदेय (प्रतिमाह)				राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय में की गई वृद्धि (प्रतिमाह)
		केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय (प्रतिमाह)	केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय (प्रतिमाह)	
1.	आंगनबाड़ी सेविका	रू0 2700	रू0 1800	रू0 1900	रू0 6400	रू0 2700	रू0 1800	रू0 5000	रू0 9500	रू0 3100
2.	लघु आंगनबाड़ी सेविका	रू0 2100	रू0 1400	रू0 1200	रू0 4700	रू0 2100	रू0 1400	रू0 6000	रू0 9500	रू0 4800
3.	आंगनबाड़ी सहायिका	रू0 1350	रू0 900	रू0 950	रू0 3200	रू0 1350	रू0 900	रू0 2500	रू0 4750	रू0 1550

90

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष 11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर विधान–सभा क्षेत्र राज्य की आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो ग्रामीण आबादी तथा अत्यधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित क्षेत्र में नकदी फसल–अनाज यथा, सब्जियाँ आदि की स्टोरेज की सुविधा नहीं रहने के कारण स्थानीय कृषकों को कठिनाईयाँ हो रही है, और मेगा कोल्ड स्टोरेज निर्माण की माँग विगत पाँच वर्षो से होती रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में मेगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	देवघर जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में 30एम0टी0 क्षमता का कोल्ड रुम का निर्माण किया गया है तथा 06 प्रखण्डों में 05 एम0टी0 क्षमता का सोलर कोल्ड रुम कार्यरत है। मेगा कोल्ड स्टोरेज के रूप में देवघर जिला के सारठ प्रखण्ड में 5000 एम0टी0 क्षमता का कोल्ड स्टोरेज निर्माणाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट (विधान सभा)–07/2024 249 /राँची, दिनांक– 27.02.2024

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2853 वि0स0 दिनांक–22.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.24

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

(91)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखण्ड डण्डई अंतर्गत पोखरिया मध्य सिंचाई योजना एवं बालेखाड़ मध्य सिंचाई योजना मरम्मति के अभाव में जिर्णशीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक। बालेखाड मध्यम सिंचाई योजना, प्रखण्ड–डण्डई पर विभाग का स्वामित्व नहीं है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनो मध्य सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों?	पोखरिया मध्यम सिंचाई योजना, प्रखण्ड–डण्डई का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए अगामी वर्षों में योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–01/2024 1130 / राँची, दिनांक– 28/02/24

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2747 दिनांक–20.02.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री समीर कुमार मोहन्ती
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल में किसानों को धान खरीद के तीन दिनों के अंदर पूर्ण भुगतान हो जाता है;	झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में धान अधिप्राप्ति करने के बाद 15 से 25 दिनों में प्रथम किस्त का भुगतान होता है तथा द्वितीय किस्त के भुगतान की कोई समय सीमा नहीं है, फलस्वरूप किसान हताश और निराश रहते हैं;	झारखण्ड राज्य में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किसानों को धान अधिप्राप्ति के समय किया जाता है। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति केन्द्र (लैम्पस/पैक्स इत्यादि) से धान का उठाव कर सम्बद्ध राईस मिल अथवा जिला स्तर पर चयनित गोदाम में पहुँचाने के उपरांत की जाती है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य स्वंय नहीं करके लैम्पस/पैक्स के माध्यम से कराया जाता है, जिनको धान अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में घोषित किया जाता है। लैम्पस/पैक्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं है। समय समय पर लैम्पस/पैक्स द्वारा अधिप्राप्त किये गये शतप्रतिशत धान को मिल में नहीं भेजे जाने की शिकायत प्राप्त होती रही है। खरीफ विपणन मौसम 2022–23 में 95 लैम्पस/पैक्स द्वारा कुल 1,17,795.64 क्विंटल अधिप्राप्त किया गया धान राईस मिल में नहीं भेजा गया। उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या–3513, दिनांक 13.12.2023 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2023–24 में धान अधिप्राप्ति हेतु प्रावधान किये गये हैं जिससे झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को अधिप्राप्त धान के विरूद्ध शतप्रतिशत सी०एम०आर० प्राप्त हो सके तथा किसानों को ससमय धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (बोनस सहित) का भुगतान हो सके।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तर्ज पर धान क्रय के तीन दिनों के अंदर किसानों को पूर्ण भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	कंडिका '2' में स्पष्ट कर दिया गया है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–06/2024 625 /राँची, दिनांक 28/2/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2744, दिनांक 20.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/24
सरकार के अवर सचिव।

93

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०o	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत केरेडारी प्रखंड में घाघरा डैम व नहर जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र से डैम सुरक्षा के संबंधित अधिकारियों के द्वारा कंडिका एक में वर्णित स्थल का दौरा किया गया था, जिसके उपरांत डैम की सुरक्षा के लिए रिर्पोट में कई आवश्यक कार्य करने का परामर्श दिया था;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता का कार्यालय जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक–14, दिनांक–29.01.2024 को दौरा कर प्राक्कलन विभाग के मुख्य अभियंता को समर्पित कर दिया गया है, जिसकी स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है,	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंडिका एक में वर्णित डैम व नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	घाघरा डैम के पुर्नस्थापन कार्य हेतु DSRP द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल हजारीबाग के पत्रांक–78 दिनांक–12.02.2024 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन में कतिपय त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण उसे सुधार हेतु अधीक्षण अभियंता को वापस किया गया है। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–10/2024 – 1143 /राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2849 वि०स० दिनांक 22.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(94)

श्री अमित कुमार मंडल , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड– गोड्डा के ग्राम–सैदापुर एवं प्रखण्ड–पथरगामा के ग्राम –तरडीहा के पास वृहत चैक डैम का निर्माण वित्तीय वर्ष –2020 में पूर्ण कर लिया गया है;	गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड– गोड्डा के ग्राम–सैदापुर में सैदापुर वीयर तथा प्रखण्ड–पथरगामा के ग्राम–तरडीहा में तरडीहा बराज का असैनिक कार्य पूर्ण हो गया है। इन योजनाओं में गेट लगाने का कार्य बाकी है।
क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित वृहत चैक डैम में अभियंत्रण (यांत्रिक) द्वारा गेट (दरवाजा) नहीं बनाये जाने के कारण उक्त योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है;	
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार वृहत चैक डैम में गेट (दरवाजा) किसानों के हित में लगाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त दोनों योजनाओं में लगने वाले गेटों का प्राक्कलन याँत्रिक प्रभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। शीघ्र इसके निर्माण एवं अधिष्ठापन के कार्य हेतु यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–04/2024– 1139 /राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2749 वि०स० दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

ASR

(95)

श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न– कृष–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में खुरहा चपका रोग से बचाव हेतु FMD का टीकाकरण किया जा रहा है ?	स्वीकारात्मक। केन्द्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अन्तर्गत राज्य में खुरहा चपका रोग से बचाव हेतु FMD का टीकाकरण किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि FMD का टीकाकरण एवं पशुओं का टैगिंग करने की दर प्रति पशु टीकाकरण रू० 3/– एवं टैगिंग रू० 2/– विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जो काफी कम है। साथ ही पशुओं को टीकाकरण एवं टैगिंग करने के लिए टीकाकर्मियों को 15 से 20 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है ?	अस्वीकारात्मक। FMD टीकाकरण एवं पशुओं का टैगिंग हेतु भारत सरकार के पत्रांक–K-11053(5313)/29/2020-LH/16264 दिनांक–22.02.2023 के निर्देशानुसार NADCP योजना के तहत् FMD टीकाकरण की दर प्रति पशु रू० 5/– तथा पशुओं का टैगिंग (पंजीकरण सहित) प्रति पशु रू० 3.50/– का भुगतान का प्रावधान है, जिसके अनुसार भुगतान की जा रही है। टीकाकर्मियों का चयन पंचायत स्तर पर संबंधित पंचायत के गांव के लोगों के बीच में ही किया जाता है। फलस्वरूप टीकाकर्मी संबंधित पंचायत के अधीनस्थ गांवों में ही पशुओं का टीकाकरण करते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कार्य को करने के लिए विभाग के पास कोई कर्मी नहीं है। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों का आर्थिक क्षति हो रही है ?	अस्वीकारात्मक। केन्द्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme) के अन्तर्गत टीकाकर्मियों के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों से भी पशुओं का टीकाकरण कार्य कराया जाता है। लेकिन इसके एवज में उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को उक्त दर को बढ़ाते हुए मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	टीकाकर्मियों एवं कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों का मानदेय केन्द्रीय योजना पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने पर निर्णय ली जा सकती है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 11/2024 233 / राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2634 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2024

(विजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 11/2024 233 / राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–205 दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2024

सरकार के अवर सचिव

(96)

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष 08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
4.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम चरगी में 5–करोड़ से ज्यादा लागत का निर्माण योजना की स्वीकृति हो चुकी है तथा इसका निविदा भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
5.	क्या यह बात सही है कि पेटरवार प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न दर्जनों गांवों में कृषि की बाहुल्यता है तथा यह क्षेत्र पूर्णतः सब्जी उत्पादक क्षेत्र है जहाँ कोल्ड स्टोरेज की अतिआवश्यकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
6.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पेटरवार प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम चरगी में स्वीकृति कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए बोकारो जिला के पेटरवार अंचल अन्तर्गत मौजा–मायापुर में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीत गृह निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसके आलोक में निविदा उपरांत वर्ष 2018 में संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया है। चयनित स्थल अनुपयुक्त होने के कारण निर्माण कार्य स्थगित रहा। उपायुक्त, बोकारो द्वारा अंचल–पेटरवार, ग्राम–चरगी में एकरारनामा के लगभग 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः उक्त योजना हेतु पेटरवार प्रखण्ड के चरगी ग्राम में स्थल उपलब्ध कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आलोक में एकरारित राशि में होने वाली वृद्धि (लगभग 70 प्रतिशत) के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा एकरारनामा को रद्द करने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

कृ0पू0उ0

D:\S.Murmu\2023-24\vidhan saba Question 2022-23.docx

247
27.02.2024

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट (विधान सभा)–06/2024 247 **/राँची, दिनांक–** 27.02.2024

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2770 वि0स0 दिनांक–21.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.24

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

97

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचांची प्रखण्ड के तहत खरियों पंचायत में मौजा 125 खरियों, खाता संख्या–413, खसरा क्रमांक–57, रकवा–10.23 एकड़ सरकारी तालाब (टिकेतनी बांध) का कई वर्षों से गहरीकरण/जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण जल संग्रह अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित सरकारी तालाब (टिकेतनी बांध) का जीर्णोद्धार हो जाने से आस–पास के ग्रामीणों को कृषि कार्य में लाभ प्राप्त होगा;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सरकारी तालाब (टिकेतनी बांध) का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों?	विस्तृत सर्वेक्षणोंपरान्त प्रश्नगत् योजना का प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए अगामी वर्षों में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–07/2024.....1139 / राँची, दिनांक– 28/02/24

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2852 दिनांक–22.02.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों में लगभग 10 वर्ष पूर्व लिफ्ट इरीगेशन योजना के माध्यम से पटवन सुनिश्चित कराई गई थी, जिसका सयंत्र खराब होने के कारण पटवन बाधित है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व में लगाई गई सभी लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं के सयंत्रों को बदलकर पुनः चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों?	विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित बन्द पड़ी उद्वह सिंचाई योजनाओं के स्थान पर सौर ऊर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। योजनाओं के लाभुक समिति का गठन के उपरान्त लाभुकों द्वारा योजना संचालन, रख-रखाव एवं निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित सहमति प्राप्त होने के पश्चात् लाभ-लागत अनुपात को देखते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर आगामी वर्षों में योजना का निर्माण कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारांकित-08/2024 1144 / राँची, दिनांक- 28/02/24

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक-2851 दिनांक-22.02.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(99)

श्री केदार हाजरा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–02 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के देवरी प्रखण्ड के भेलवाघाटी में वर्ष 2000 में ही आश्रम विद्यालय का भवन बनकर तैयार है परन्तु राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के उदासीन रवैये के कारण संबंधित विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालय भवन दिनांक–28.01.2021 को हस्तगत कराया गया है। आश्रम विद्यालय के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था का चयन प्रक्रियाधीन है। संस्था के चयन के उपरान्त संचालन प्रारंभ की जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि आश्रम विद्यालय का निर्माण खासकर गरीब आदिवासी छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए आश्रम विद्यालय भेलवाघाटी प्रखण्ड देवरी में अविलंब शैक्षणिक कार्य कार्य प्रारंभ कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–04 / वि०स०प्र०–02 / 2024 - 575 राँची, दिनांक– 28/02/2024

प्रतिलिपिः– श्री सुरेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2755, दिनांक–20.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vandana Kumari 28/02/24
(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(100)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री आलोक कुमार चौरसिया
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड–चैनपुर एवं रामगढ़ प्रखण्ड के कई ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के 08 जातियाँ 1– माल पहाड़िया 2– सौरया पहाड़िया 3– बिरजिया 4– कौरवा 5– परहिया 6– बिरहोर 7– असूर और सबर जातियाँ के लोग रहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इनके हालात को देखते हुए सरकार डाक द्वारा फ्री खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, जिससे ये दूसरे प्रदेश को पलायन न कर सके;	राज्य में निवास करने वाले 8 जातियाँ– यथा मालपहाड़िया, सौरया पहाड़िया, बिरजिया, कौरवा, परहिया, बिरहोर, असूर एवं सबरा अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत PVTG श्रेणी में आते हैं। पलामू सहित पूरे राज्य के PVTG श्रेणी के परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु PVTG डाकिया योजना लागु है जिसके तहत PVTG श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत अन्त्योदय श्रेणी में आच्छादित करते हुए प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम चावल (पैकेट में) उनके निवास स्थान पर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के पत्रांक–151, दिनांक 26.02.2024 के अनुसार चैनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत PVTG परिवारों को माह अगस्त, 2023 से फरवरी, 2024 तक वितरित खाद्यान्न की स्थिति माहवार निम्नवत् है :– (मात्रा क्विंटल में)

क्र०	माह का नाम	आवंटन	वितरण	वितरण प्रतिशत
1	अगस्त, 23	567.83	567.55	99.95
2	सितम्बर, 23	567.91	567.51	99.93
3	अक्टूबर, 23	567.91	567.79	99.98
4	नवम्बर, 23	568.23	568.11	99.98
5	दिसम्बर, 23	568.15	567.60	99.90
6	जनवरी, 24	568.15	568.03	99.98
7	फरवरी, 24	568.19	419.71	73.87
	कुल	**3976.37**	**3826.30**	**96.23**

माह फरवरी, 2024 का वितरण कार्य जारी है।

(3) क्या यह बात सही है कि अब प्रतिमाह खाद्यान्न इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा दो माह–तीन माह के बाद इन्हें उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण इनकी स्थिति खराब हो रही है;	PVTG डाकिया योजनान्तर्गत लाभुक परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी वस्तु स्थिति कंडिका–2 में अंकित है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रतिमाह नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–11/2024 623 /राँची, दिनांक 28/2/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2753, दिनांक 20.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2024

सरकार के अवर सचिव।

(101)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में ERM Work of Bayin Banki Irrigation SBD 06/19-20 dt–26.10.2019 द्वारा बरडीहा, मझिआंव प्रखण्ड में संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का कार्य घटिया किस्म की सामग्री से तथा प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया जा रहा है फलस्वरूप जनता में काफी आक्रोश है;	अस्वीकारात्मक, स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत नक्शा एवं एकरारनामा में अंकित विशिष्टयों के अनुरूप सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की उपस्थिति में कार्य कराया जा रहा है। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्य का निरीक्षण किया जाता रहा है। कराये जा रहे कार्य में उपयोग किये गये सामग्री एवं कंक्रीट का समय–समय पर गुणवता की जाँच की जाती है। गुणवता प्रमाण पत्र के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी संवेदक एवं अभियंता पर कार्रवाई तथा संवेदक का भुगतान रोकना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त क्रमांक–2 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–03/2024 – 1140 /राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2750 वि०स० दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

102

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0-कृष0-09 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क0	प्रश्नकर्ता- श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0	उत्तरदात्ता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय राज्य के मुख्यालय, रांची में स्थापित है, जिससे संथाल परगना प्रक्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में कठिनाईयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। संथाल परगना प्रक्षेत्र के छात्र-छात्राओं का पठन कार्य यहाँ होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्रमण्डल प्रक्षेत्र अंतर्गत देवघर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना की मांग राज्य गठन के बाद से यहाँ के शिक्षार्थियों द्वारा की जाती रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देवघर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर अविलंब शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	देवघर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(तारांकित प्रश्न)-06/2024 564 कृ0,राँची,दिनांक- 27/02/2024

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0-2855 दिनांक-22.02.2024 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2024

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(तारांकित प्रश्न)-06/2024 564 कृ0,राँची,दिनांक- 27/02/2024

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा-09 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2024

सरकार के अवर सचिव।

(103)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा में दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–म०स०–02 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहे इंडियन ग्रामीण सर्विसेज के माध्यम से तेजस्विनी प्रोजेक्ट के जरिए 10,039 तेजस्विनी कर्मचारियों द्वारा राज्य के महिलाओं की तस्करी रोकने, महिला भ्रूण हत्या रोकने, डायन प्रथा, दहेज प्रथा रोकने एवं महिलाओं को शिक्षित बनाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जाता है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। राज्य के 17 जिलों में 11–24 वर्ष के किशोरियों एवं महिलाओं के लक्षित समूह के शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने एवं उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर उनका सशक्तिकरण हेतु World Bank के सहयोग से तेजस्विनी परियोजना स्वीकृत एवं कार्यान्वित थी।
2.	क्या यह बात सही है कि जिन योजनाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए इन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे, लेकिन वे योजनाऐं बन्द होने के कगार पर है, जिससे वे लोग भविष्य को लेकर सशंकित है ;	विश्व बैंक से प्रदत्त Soft Loan से योजना कार्यान्वयन 2021 तक स्वीकृत थी, अपितु विश्व बैंक के सहमति से राज्य शासी निकाय की स्वीकृति पर इसे एक–एक वर्ष के लिए दो अवधि विस्तार प्रदान की गई। कालांतर में विश्व बैंक की सहमति से शासी निकाय के स्वीकृति पर दिनांक–25.08.2023 तक योजना क्रियान्वित की गई। तत्पश्चात् योजना Discontinue कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तेजस्विनी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही तेजस्विनी कर्मचारियों को राज्य आधारित महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं में अनुबंध के आधार पर रख कर भविष्य सुरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एतद् संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–58/2024 – 538 राँची, दिनांक : 28.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2848/वि0स0 दिनांक–22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

(209)

डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न– कृष–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नीलाम्बर–पीताम्बरपुर (पूर्व में लेस्लीगंज) के पंचायत नीलाम्बर– पीताम्बरपुर में गांधी चौंक मुख्य बाजार के निकट पशु चिकित्सालय अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दीपनारायण सोनी पिता स्व० जगदीश साव के द्वारा खण्ड–1 में वर्णित पशु चिकित्सालय के मुख्य पथ को दुकान लगाकर अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह कि पशु चिकित्सालय लेस्लीगंज नीलाम्बर–पीताम्बरपुर के प्रवेश द्वार पर दीपनारायण सोनी पिता स्व० जगदीश साव एवं अन्य के द्वारा दुकान लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है तथा जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा दुकान बनाने के लिए पशु चिकित्सालय के जमीन पर शिलान्यास भी किया जा चुका है। पशु चिकित्सालय के चारों तरफ दुकान बनाकर इसके फाटक को बंद कर दिया गया है जिस कारण पशु चिकित्सालय में गाड़ियों से समान एवं बीमार पशु अन्दर नहीं आ पाते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि चारों तरफ से अतिक्रमण होने के कारण गंदगी का अम्बार लगा रहता है तथा पशु चिकित्सालय का रास्ता बंद रहने के कारण पशु पालक अपने मावेशियों, पशुओं को इलाज कराने हेतु अस्पताल तक नहीं ले जा पाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पशु चिकित्सालय के मुख्य मार्ग तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पशु चिकित्सालय के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भ्रमणशील पशु चिकित्सालय पदाधिकारी लस्लीगंज, पलामू द्वारा संबंधित थाना प्रभारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, पलामू से वर्ष–2019 से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। अतिक्रमण को हटाने एवं पशु चिकित्सालय के परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु उपायुक्त, पलामू से भी निदेशक, पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–296 दिनांक–27.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 12 / 2024 239 / राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2737 दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

(अलबर्ट बिलुंग)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 12/2024 ...239.../ राँची, दिनांक 28/02/24

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–206 दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव

105

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-07 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क0	प्रश्नकर्ता- श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	उत्तरदात्ता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1985 से हजारीबाग जिला मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है, जिसे 18.05.2023 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कृषि विज्ञान केन्द्र हजारीबाग के स्थापना कार्यो के सम्पादन एवं कर्मचारियों के वेतनादि का शत्-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग को स्थानांतरण काल में सम्पति का अधिग्रहन कर लिया गया है, परन्तु कार्यरत वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का समायोजन आज तक नहीं किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है ;	स्वीकारात्मक। होली कॉस कृषि विज्ञान केन्द्र हजारीबाग के परिसंपत्तियों का अधिग्रहण निदेशक प्रसार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के द्वारा दिनांक 18.05.2023 को कर लिया गया है एवं कार्यरत वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के समायोजन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के Secretary (DARE) & Director General (ICAR), New Delhi की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 19.02.2024 को भेजा जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थल चयन समिति द्वारा ली गई निर्णय के अनुसार पूर्व में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र की सम्पति के साथ कार्यरत वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का समायोजन करते हुए लगभग 20 माह से बकाए वेतनादि का भुगतान करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र हजारीबाग को संचालित करने का विचार रखती है ; हां तो, कब तक, नहीं, तो क्यों ?	कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मियों के वेतनादि का भुगतान शत्प्रतिशत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग के वैज्ञानिकों एवं कर्मियों के सामयोजन के बिन्दु पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अंतिम निर्णय ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(तारांकित प्रश्न)-05/2024 545 कृ0,राँची,दिनांक- 26/02/2024

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0-2739 दिनांक-20.02.2024 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(तारांकित प्रश्न)-05/2024 545 कृ0,राँची,दिनांक- 26/02/2024

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा-09 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024
सरकार के अवर सचिव।

106

- श्री सुखराम उराँव, स०वि०स द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–05 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास है, जहाँ छात्रायें अध्ययनरत् है, यह छात्रावास काफी जर्जरावस्था में है, जिस कारण छात्राओं को बरसात के दिनों में प्लास्टिक एवं तिरपाल लगाकर रहने की मजबूरी है:	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रावास की मरम्मति या नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	आदिवासी कन्या छात्रावास, चक्रधरपुर का मरम्मति/जीर्णोद्धार DMFT Fund से कराने हेतु उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आई०टी०डी०ए०, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय पत्रांक – 417(B)/क०, दिनांक–04.03.2023 द्वारा पत्राचार किया गया है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स० (छात्रावास)–03/2024 - 573

राँची, दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2856 दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.02.2024

(नीरज कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–10 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><td>प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०</td><td>उत्तरदाता
विभागीय मंत्री</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के लगभग 75% लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, जहाँ लगभग 4 लाख किसान है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत किसानों को सब्सिडी दर पर सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पम्प दे रही है, परन्तु हजारीबाग जिले में है, परन्तु हजारीबाग जिले में मात्र 356 किसानों को उक्त योजना का लाभ दी जा रही है, जबकि उक्त जिले में लगभग 4 लाख किसान है।</td><td>अस्वीकारात्मक।
पी०एम० कुसुम Cpmponent B योजना के तहत सोलर स्टैण्ड अलोन पम्पसेट का अधिष्ठापन हजारीबाग जिला के साथ–साथ राज्य के अन्य जिलों में भी योजना के प्रावधान के अनुरूप कराया गया है। हजारीबाग जिलान्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उसके विरूद्ध विभिन्न चरणों में अधिष्ठापित सोलर पम्पसेट की विवरणी निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>Name of Scheme</th><th>Application received form Hazaribagh District</th><th>Pump Installed in Hazaribagh District</th><th>Balance Pump as per Application</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>PM-KUSUM Component B Phase-I</td><td>708</td><td>671</td><td>37</td><td>वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 अन्तर्गत अधिष्ठापित।</td></tr>
<tr><td>PM-KUSUM Component B Phase-II</td><td>37* + 535 =572 *(Balance from Phase-I)</td><td>543</td><td>29</td><td>वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 अन्तर्गत अधिष्ठापित।</td></tr>
<tr><td>PM-KUSUM Component B Phase-III</td><td>29* (*Balance from Phase-II) + 3902 Online Application received</td><td>.....</td><td>.....</td><td>योजना के द्वितीय चरण में शेष बचे 29 लाभुकों के किसानों के यहाँ पम्प अधिष्ठापन हेतु आदेश निर्गत किया जा चुका है।
जमा किये गये 3902 आवेदनों का जाँच एवं सत्यापन जिला स्तर से लंबित है। जिला स्तरीय सांगोते द्वारा सत्यापन के उपरान्त कुल आवेदकों से लाभुक अंशदान की राशि जोड़ा को प्राप्त होने के पश्चात पम्प अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>1214</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिले के अधिक से अधिक किसानों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। पी०एम० कुसुम Component B Phase-III योजनान्तर्गत MNRE द्वारा झारखण्ड राज्य के लिये 20000 अदद सोलर पम्पसेट पर Benchmark तथा निविदा में प्राप्त दर में जो कम हों, पर 30% अनुदान की स्वीकृति दी गयी है। लाभुकों से मात्र 3–4 प्रतिशत रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय आवंटन के आलोक में पूरे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सोलर पम्पसेट अनुदानित राशि पर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 415 / दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

108

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ज– 06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत उत्तर कोयल परियोजना, मोहम्मदगंज के शाखा नहर यथा अधौरा माईनर, परता माईनर, सलेमपुर माईनर, सोनपुरवा माईनर, बुधवा माईनर एवं पोखराही माईनर नहर की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो जाने के कारण यहाँ के किसानों के खेतो को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सभी वितरणी जीर्ण अवस्था में है, परन्तु मौसमी मजदूरों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के तत्परता एवं सहयोग से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सभी शाखा नहर में वर्ष 2008 के बाद कोई भी मरम्मति कार्य नहीं हुए हैं, फलस्वरूप मुख्य नहर से पानी छोड़े जाने के बाद उनके बाँध जहाँ तहाँ से टूट जाते हैं, जिसे यहाँ के लाभान्वित किसानों के द्वारा श्रमदान कर किसी तरह मरम्मत किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2008 के बाद प्रश्नगत योजना के वितरणियों में मरम्मति कार्य कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी शाखा की मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सभी वितरणियों के जिर्णोद्धार का कार्य WAPCOS के द्वारा किया जाना है। WAPCOS के द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

अनु०:– पूरक सामग्री

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1131 /राँची, दिनांक:– 28/02/24

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 2751, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

109

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–04 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के जनजातीय समाज के पवित्र, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के विविध स्थानों, सरना स्थल, मसना स्थल, जाहेरस्थान, हड़गड़ी आदि के संरक्षण, उन्नयन और विकास के लिये सरकार ने योजना तैयार की है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 के लिये जिलावार, विभाग के द्वारा राशि का आवंटन किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि संबंधित योजनाओं का सही ढंग से चयन और बँटवारा नहीं होने के कारण पूरे प्रखण्ड का असंतुलित विकास होता है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–1375, दिनांक–09.07.2021 के आलोक में तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर जिलों से प्राप्त योजनाओं प्रस्तावों पर योजनान्तर्गत उपलब्ध निधि के आधार पर योजनाओं का चयन किया जाता है। योजनाओं के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योजनाओं के सटीक चयन और पूरी पारदर्शिता के लिए कोई कार्रवाई करेगी, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कण्डिका–3 में स्थिति सुस्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–07 / वि०स०ता०–01 / 2024 - 576 राँची, दिनांक– 28/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2857, दिनांक–22.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.02.2024

(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के उप सचिव।

110

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	**श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची**

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण यहाँ के किसान अपनी फल और सब्जियों के उपज का भंडारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के दंगवार पंचायत में 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया गया है। संचालक एजेन्सी के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी पाँचों प्रखण्डों यथा हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज वह पिपरा प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुरूप ।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट (विधान सभा)–05/2024 248 **/राँची, दिनांक–** 27.02.2024

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2740 वि0स0 दिनांक–20.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.24

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

111

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-03 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुण्डू के भूमि संरक्षण कार्यालय में स्वीकृत 42 में से मात्र 03 अधिकारी कार्यरत है, जिस कारण काफी कार्य लम्बित रह जाते है;	स्वीकारात्मक भूमि संरक्षण कार्यालय, बुण्डू में पदाधिकारी एवं कर्मचारी का कुल स्वीकृत पद 42 है, जिसमें दो कर्मचारी एवं एक पदाधिकारी कार्यरत है। योजना कार्य लम्बित नहीं रहती है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार यथाशीघ्र पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कृषि अधीनस्थ सेवा (अराजपत्रित) अंतर्गत कनीय अभियंता, कोटि-1 (शष्य), कोटि-3 (कृषि रसायन), कोटि-5 (पौधा संरक्षण), कोटि-7 (उद्यान) एवं कोटि-9 (सांख्यिकी) के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-07/कृ0स्था0(वि0स0)-01/2024 557 /कृ0, राँची, दिनांक-26/02/2024

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2738 दिनांक-20.02.2024 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-07/कृ0स्था0(वि0स0)-01/2024 557 /कृ0, राँची, दिनांक-26/02/2024

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024

सरकार के अवर सचिव।

(112)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड–गोड्डा के ग्राम–चपरी में पीपल पेड़ के पास वृहत चेक डैम का निर्माण एवं ग्राम –तिलोवदर पंचायत–कुर्मीचक के हरना नदी में वृहत चेक डैम का निर्माण कृषकों के हित में अतिआवश्यक है	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित वृहत चेक डैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा प्रखण्ड के ग्राम–चपरी एवं ग्राम –तिलोवदर में वृहद चेक डैम का निर्माण हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा स्थल निरीक्षण कर संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। तकनीकी संभाव्यता एवं बजटीय उपबंध के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–05/2024 – 1135 **/राँची, दिनांक** 28/02/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2748 वि०स० दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ASE

28/2/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

113

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० लम्बोदर महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर–बसर करने वाले परिवारों को ग्रीन कार्ड के माध्यम से 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा था;	स्वीकारात्मक। राज्य में माह जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशनकार्ड) लागू है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रीन कार्ड धारियों को वर्तमान में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु चावल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम से की जा रही थी, किन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 से माह मई, 2023 तक की अवधि के लिए कुल 3,57,502.96 क्विंटल चावल का वितरण लाभुकों के बीच किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या–3513, दिनांक 13.12.2023 एवं विभागीय संकल्प संख्या–3515, दिनांक 13.12.2023 के आलोक में धान अधिप्राप्ति योजना से प्राप्त चावल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चावल वितरण प्रारंभ किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी ग्रीन कार्डधारियों को बकाया खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–10/2024 624 /राँची, दिनांक 28/2/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2771, दिनांक 21.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2024

सरकार के अवर सचिव।